सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1970.

जी० एस० आर० 721.—प्रेस तथा पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 (1867 का 25) की धारा 20क (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (क) इन नियमों को समाचारपत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) संशोधन नियमावली, 1970 कहा जा सकेगा।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त हो जायेंगे।

2. समाचार पंजीकरण (केन्द्रीय) नियमावली, 1956 में नियम, 5 के उपनियम (2) की धारा (ख) में कालम, 1 के अन्तर्गत "मलयालम" प्रविष्टि के सामने कालम 2 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

"त्रिवन्द्रम"।

[अधिसूचना संख्या 4/1/70-कोआर्ड

एस० पदमनाभन, अवर सचिव।

New Delhi, the 23rd April 1970

G.S.R. 722.—In exercise of the powers conferred by the proviso to artic 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules furth to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, publish with the notification of the Government of India in the Ministry of Informati and Broadcasting No. G.S.R. 1776, dated the 30th November, 1964, namely:—

(1) These Rules may be called the All India (Class III posts) Recruitm (Fifth Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rule: 1964, after Serial No. 66 and the entries relating thereto, the following shall b added, namely:—

Sl. No.	Particulars of the posts			Methods of recruitment and percentage vacancies to be filled up by			
	Name of the post	Classification, Character and status of the post.	Scale of pay of the post	Direct recruitment	Promotion		Transfer
					Selection fitness	Seniority	
1	2	3	4	5	6	7	8
"67	Statistical Assistant	General Central Service Class III Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 210—10 290—15—320—EB—15—425	By promotion failing which by transfer and failing both by direct recruitment.			

Qualifications etc. for direct recruitment		Period of probation	Qualifications etc. for recruitment promotion/transfer	
Age limit	Educational other qualifications required.		Whether age and educational qualifications for direct recruitment will apply in case of recruitment by promotion/transfer.	Grades/Sources fro which promotio tranfer is to be made.
9	10	11	12	13
Below 30 years	*Essential* : (*i*) B. Sc. in Statistics and/or Mathematics. *Desirable* : (*i*) Some experience of Statistical research. (*ii*) Training in the working of punching card equipment.	Two years	Not applicable	Promotion Statistic Computor wi at least three yea service in the grac Transfer from G vernment servatı working in equ valent grades other Governmer of India offices v Rs. 210—425".

[No. 17/8/69-B(A)]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल 1970.

जी० एस० आर० 722:—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति भारत सरकार के सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776, तारीख 30 नवम्बर, 1964 प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद में भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

(1) इस नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (पंचम संशोधन) नियमावली 1970 कहा जा सकेगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रमसंख्या 66 तथा इससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित रखा जाए :—

क्रम संख्या	पदों का विवरण			भर्ती पद्धतियां तथा जिस अनुपात से रिक्तियां भरी जानी हैं उसकी प्रतिशतता।			
	पद का नाम	पद का वर्गीकरण स्वरूप तथा दर्जा	पद का वेतनमान	सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा		स्थानान्तरण
					चयन प्रवरता/योग्यता		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
67.	सांख्यिकी सहायक	सामान्य केन्द्रीय सेवा, तृतीय श्रेणी, अराजपत्रित, अलिपिक वर्गीय	210—10—290—15—320—द०रो०15—425 रू०	पदोन्नति द्वारा, इसके न होने पर स्थानान्तरण द्वारा तथा इन दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।			

सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं आदि		परिवीक्षाधीन अवधि	पदोन्नति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती के लिए अर्हताएं आदि	
आयु सीमा	शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं		सीधी भर्ती के लिये जो आयु और शैक्षणिक अर्हताएं हैं, क्या वे पदोन्नति /स्थानान्तरण द्वारा की जाने वाली भर्ती के लिए भी लागू होगी ।	वे ग्रेड / स्रोत जिनसे पदोन्नति / स्थानान्तरण किया जाना है ।
9)	(10)	(11)	(12)	(13)
तीन वर्ष से नीचे	आवश्यक : (1) सांख्यिकी तथा / या गणित में बी० एस० सी० वांछनीय :— (1) सांख्यिकी अनुसंधान में कुछ अनुभव । (2) पंचिंग कार्ड उपकरण के संचालन में प्रशिक्षण ।	दो वर्ष	लागू नहीं होता	**पदोन्नति** — सांख्यिकी कम्प्युटर जिसका इस ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो । **स्थानान्तरण** — भारत सरकार के अन्य कार्यालयों में 210–425 रुपये के समकक्ष ग्रेडों में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों में से ।

[संख्या० फा० 17/8/69–बी० (ए)]

G.S.R. 723.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962, namely :—

(1) These rules may be called the All India Radio (Class II posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.